निजी एवं गोपनीय - परिचालन के लिए नहीं

[यह प्रकटन दस्तावेज़ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनिमय, 2008 के अनुसार तैयार किया गया है]

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड)

(कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित,
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी
तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4A के अंतर्गत सार्वजनिक वित्त संस्था)

पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400 005
टेलि:(022) 66553355/22189111 फ़ैक्स: (022) 22188137 वेबसाइट : www.idbi.com

निजी नियोजन आधार पर कुल रु.250 करोड़ की राशि हेतु प्रत्येक रु.10,00,000 नकद वाले सममूल्य के 2,500 अप्रतिभूत मोचनीय अपरिवर्तनीय सीनियर बांडों हेतु प्रकटन दस्तावेज़

सामान्य जोखिम: निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए निवेशकों को निहित जोखिम सहित निर्गमकर्ता तथा प्रकटन दस्तावेज़ का स्व परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए. इन बाँड़ों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा संस्तुत अथवा अनुमोदित नहीं किया गया है, न ही सेबी इस प्रकटन दस्तावेज की परिशुद्धता अथवा पर्याप्तता की गारंटी देता है.

निर्गमकर्ता की पूर्ण ज़िम्मेदारी: निर्गमकर्ता सभी यथोचित जांच-पड़ताल करने के बाद यह ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि इस प्रकटन दस्तावेज़ में निर्गमकर्ता के बारे में और इस निर्गम, जो कि निर्गम के संदर्भ में विषयवस्तु है, के बारे में, दी गई पूरी जानकारी सभी भौतिक पहलुओं के नजरिए से सत्य और सही है और किसी भी भौतिक पहलू के नजरिए से भ्रामक नहीं है और यह भी कि इसमें अभिव्यक्त अभिमत एवं आशय ईमानदारी से व्यक्त किए गए हैं और यह कि ऐसा कोई भी अन्य तथ्य नहीं है जिसका विलोपन इस प्रकटन

दस्तावेज़ को अथवा ऐसी किसी अन्य जानकारी को अथवा ऐसे किसी अन्य अभिमत अथवा आशय को किसी प्रकार के भौतिक तथ्य के संदर्भ में भ्रामक बनाता हो.

क्रेडिट रेटिंग:

सीनियर एवं गौण (निम्नतर टियर II बांड्स : **[इक्रा] AA+ (स्थिर संभावना के साथ डबल ए प्लस),**

उपर्युक्त रेटिंग परिभाषाओं के विवरण के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रकटन दस्तावेज़ में 'क्रेडिट रेटिंग' (पृष्ठ 5) पर दी गई धारा **VIII** को देख लें.

रेटिंग का आशय प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय अथवा प्रतिधारण के लिए सिफ़ारिश नहीं हैं और निवेशकों को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए. रेटिंग निर्धारण नई जानकारी के आधार पर समनुदेशित रेटिंग एजेंसी द्वारा किसी भी समय संशोधित की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है. प्रत्येक रेटिंग का मूल्यांकन किसी अन्य रेटिंग से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए.

सूचीबद्धता : इन बाँड़ों को बांबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव है.

निर्गम के रजिस्ट्रार
कार्वी कम्प्युटरशेयर प्रा.लि.
प्लॉट नं. 17-24, विट्ठल राव नगर,
मधापुर, हैदराबाद – 500081

बांडधारकों के ट्रस्टी
एसबीआईकैपिटल ट्रस्टी कंपनी लि.
8, खैतान भवन, 5वीं मंजिल,
198, जे टाटा रोड, चर्चगेट,
मुंबई – 400 020

यह अनुसूची निजी आधार पर बांडों के नियोजन के बारे में सेबी द्वारा जारी दिनांक 6 जून 2008 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत न तो विवरणिका है और न ही विवरणिका के बदले में कोई विवरण-पत्र है और यह निर्गमकर्ता द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों में अभिदान करने अथवा अन्य तरीके से अर्जित करने हेतु आम जनता के लिए किसी प्रस्ताव के रूप में नहीं है.

प्रकटीकरण दस्तावेज के लिए यहां क्लिक करें.